

प्रेषक,

अनिल कुमार वर्मा-1,
जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

सेवामें,

महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : जे0वी0 699 / पन्द्रह, दिनांक : जौनपुर मार्च 07, 2025 ई0।

विषय— **दिव्यांग अधिवक्तागण हेतु गठित अभिगम्यता समिति के सम्बन्ध में।**


महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 3551/वी0-सी0पी0सी0/ई-कोर्ट्स/इलाहाबाद दिनांकित 05.01.2024 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जिला न्यायालय में एक अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) का गठन कर ई-कमेटी (E-Committee) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित अपने पत्रांक 3607/वी-सी0पी0सी0/ई-कोर्ट्स/इलाहाबाद, दिनांकित 03.04.2024 के द्वारा भी दिव्यांग अधिवक्तागण/वादकारीगण हेतु जनपद न्यायालय में प्रचलित कार्य पद्धति के सम्बन्ध में आख्या आहूत की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2025 को कमेटी के सम्पर्क नम्बर को S3WAAS वेबसाईट पर भी अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श/समस्या निराकरण हेतु दिनांक 06.03.2025 को समिति के अध्यक्ष, अपर जिला जज द्वितीय की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में एक बैठक आहूत की गयी जिसमें सभी सदस्यगण उपस्थित रहे (बैठक की छायाप्रति संलग्न) एवं उसका विवरण जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
सरासम्मान।

भवदीय,


(अनिल कुमार वर्मा-1),
जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

जनपद न्यायालय, जौनपुर में गठित
(Accessibility Committee) की त्रैमासिक बैठक का वृत्तांश

आज दिनांक 06.03.2025 को सायं अपराह्न 1:30 बजे अपराह्न मेरे विश्राम-कक्ष में आहूत की गयी जिसमें मेरे अतिरिक्त समिति के सदस्यगण श्री अनुज कुमार जौहर, सिविल जज (सी0डि0), श्री अमिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर, श्री श्यामलाल सरोज डी0एस0ए0 तथा श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट उपस्थित रहे। इसके पहले इस कमेटी की बैठक दिनांक 02.12.2024 को हुई थी जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किये गये प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करने हेतु विचार-विमर्श किया गया एवं उसको जनपद न्यायालय जौनपुर की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया। उक्त दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में तथा समिति की पूर्व में हुई विचार विमर्श बैठक के क्रम में आज की आहूत की गयी बैठक में समेकित रूप से निम्न प्रस्ताव परित किया गया :-


1. आज समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति के लिये गठित ई-मेल पते-committeeaccessibility@gmail.com को प्रचारित एवं प्रसारित किया जावे तथा जिला न्यायालय की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जावे जिससे असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण/न्यायिक अधिकारीगण उक्त ई-मेल का प्रयोग कर अधिकाधिक उक्त सुनिधा का लाभ उठा कर ई-फाईलिंग कर सकें। इसके अतिरिक्त जजशिप में गठित जिला स्तर की कमेटी के सम्पर्क नम्बर S3WAAS वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।
2. असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण की सूची का अवलोकन से विदित है कि अब तक मात्र कुल 8 अधिवक्तागण ही सूची बद्ध किये गये हैं। असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण की सूची में नये नामों की वृद्धि हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर एवं तहसील स्तर के ग्राम न्यायालयों में अधिवक्ता समितियों को पुनः पत्र प्रेषित किया जावे।
3. अभिगम्यता समिति की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार केवल असक्षम अधिवक्ता ही स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि/लिपिक के द्वारा ई-फाईलिंग की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं न कि प्रत्येक व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस सम्बन्ध में भी समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस बात को भी न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।
4. समिति की बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि सभी दस्तावेज डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिये एवं केवल ई-स्टाम्प का ही प्रयोग किया जा सकेगा।
5. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में किये गये कार्यों एवं दाखिल/निस्तारित वादों की संख्या सूची भी प्रकाशित करेगी जिसको न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद भी समय-समय पर सूचित करेगी।


13


6 उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अभिगम्य दस्तावेज (Accessible Documents) की जाँच करने हेतु एवं वादकारियों की समस्याओं के निराकरण/सहयोग हेतु डी0एस0ए0 एवं एस0ए0 का आपेक्षित सहयोग लिया जावे।


7. बैठक में यह भी विचार विमर्श कि यदि किसी आवश्यक समस्या का निराकरण करना हुआ या माननीय उच्च न्यायालय का कोई दिशा निर्देश मिला तो समय पूर्व बैठक आहूत कर उक्त पर विचार विमर्श किया जायेगा।


इसके अतिरिक्त अन्य किसी विन्दु पर विचार विमर्श नहीं किया गया और आज की बैठक अग्रिम तिथि तक के लिये स्थगित की गयी।


(अनुज कुमार जोहर),
सिविल जज सी0डि0 / सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(अमिताभ श्रीवास्तव),
कोर्ट मैनेजर / सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(मौ0 शारिक सिद्दीकी),
अध्यक्ष,
अपर जिला जज द्वितीय,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(श्याम लाल सरोज),
डी0एस0ए0 / सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(गिरीश कुमार श्रीवास्तव)
एडवोकेट / सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।

Seen.
2

प्रेषक,

मौ० शारिक सिद्दीकी,
अपर जिला जज द्वितीय,/
अध्यक्ष,
अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee),
जनपद न्यायालय, जौनपुर।

सेवामें,

अध्यक्ष/मन्त्री,
दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ,
जौनपुर।

विषय—

दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर में तथा तहसील स्तर पर ग्रामीण न्यायालयों में वकालत व्यवसाय कर रहे विकलांग अधिवक्तागण की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 3551/V-CPC/eCourts दिनांकित 05.01.2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पत्र दिनांकित 06.11.2023 का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया है कि प्रत्येक जनपद न्यायालयों में एक अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee), का गठन किया जाये। इस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित कमेटी की सूचना आपको पूर्व में दी जा चुकी है। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया था कि ऐसे अधिवक्तागण जो इस सुविधा के पात्र हैं उनकी सूची उपलब्ध करवायी जाय। माह जुलाई के अन्त में समिति की बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अब तक कुल 4 अधिवक्तागण दीवानी न्यायालय बार से तथा एक अधिवक्ता तहसील मछली शहर से की सूची प्राप्त है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ऐसे अधिवक्तागण जो न्याय प्रणाली तक पहुँचने में असमर्थ हों एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों उनकी सूची संलग्न निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे उनका डाटाबेस तैयार किया जा सके एवं माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उनको उक्त सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

दिनांक : 06.03.2025 ई०।

भवदीय

(मौ० शारिक सिद्दीकी),
अपर जिला जज द्वितीय,/
अध्यक्ष,

अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee),
जनपद न्यायालय, जौनपुर।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को प्रेषित : -

1. अध्यक्ष/मन्त्री, कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति, जौनपुर।
2. अध्यक्ष/मन्त्री, समस्त तहसील अधिवक्ता समिति, जौनपुर

जनपद न्यायालय जौनपुर में गठित
Accessibility Committee की बैठक सूचना


1. श्री अनुज कुमार जौहर, सिविल जज (सी० डि०), जौनपुर। (सदस्य)
2. श्री अभिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर (सदस्य)
3. श्री श्याम लाल सरोज, डी०एस०ए० (सदस्य)
4. श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट (सदस्य)

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 3551/V-CPC/eCourts दिनांकित 05.01.2024 के अनुपालन में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रशासकीय आदेश संख्या 25/2024 दिनांकित 09.01.2024 एवं तत्सम्बन्धी प्रशासकीय आदेश संख्या-84/2024 दिनांकित 23.04.2024 के द्वारा मेरी अध्यक्षता में Accessibility Committee का गठन करते हुए आप सब को उक्त कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। साथ ही यह निर्देशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जावे।

उक्त के अनुपालन में आज दिनांक 06.03.2025 को समय 12:30 बजे उक्त समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी है। उक्त बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु विचार विमर्श किया जायेगा। समिति की बैठक में सभी सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है।

उक्त आहूत बैठक की सूचना डी०एस०ए० द्वारा समस्त सदस्यों को अपने स्तर से दी जावे।

दिनांक: 06.03.2025 ई०।



(मौ० शारिक सिद्दीकी),
अपर जिला जज द्वितीय/
अध्यक्ष
Accessibility Committee
जौनपुर।

- (i) Civil Judge (S.D.) - A
- (ii) Court Manager - 06/03/25
- (iii) D.S.A. - 06/03/25
- (iv) Advocate - 06/03/25